संoसंo–9 / आo–4–12 / 2017 1178(9) 23/10/2018

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 रामनारायण सिंह,** तत्कालीन **चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,** बेलदौर, खगड़िया के पदस्थापन काल में गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है । इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा0 रामनारायण सिंह के विरूद्ध उपबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए ।

2– विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन श्री राधेश्याम साह, **विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री नागेन्द्र प्रसाद,** उप सचिव **(प्रशाखा–9), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए** उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3– डा0 रामनारायण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों ।

4– इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 9 / आ0–4–12 / 2017– 1178(9) / स्वा0, पटना, दिनांक :– 23/10/2018

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित श्री राधेश्याम साह, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचालन पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 9 / आ0–4–12 / 2017– 1178(9) / स्वा0, पटना, दिनांक :– 23/10/2018

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित श्री नागेन्द्र प्रसाद, उप सचिव (प्रशाखा–9), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 9 / आ0–4–12 / 2017– 1178(9) / स्वा0, पटना, दिनांक :– 23/10/2018

प्रतिलिपि :– डा0 रामनारायण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया सम्प्रति–किसलय, विवेक विहार, मोहनपुर रोड, समस्तीपुर–848101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अनुबंध

1178(9)
23/10/2018

1. सरकारी सेवक का नाम – डा0 रामनारायण सिंह
2. पदनाम – चिकित्सा पदाधिकारी
3. संवर्ग – चिकित्सा सेवा संवर्ग
3. पदस्थापन स्थान – तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया ।
4. वेतनमान – ....
5. सेवानिवृत्ति की तिथि – 28.02.2019
6. आरोप/लांछन का अभिकथन –

आरोप सं0	आरोप/लांछन का अभिकथन
1	आपको बाढ़ एवं राहत कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, कर्तव्यहीनता एवं आदेश की अवहेलना के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–2163(9) दिनांक–24.11.2004 द्वारा निलंबित किया गया था । आपके द्वारा लगभग 13 वर्षो के उपरांत स्वयं को निलंबन मुक्त करने हेतु दिनांक–06.05.2017 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
2	आपको विभागीय अधिसूचना संख्या–847(9) दिनांक–05.08.2008 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया था लेकिन आप निलम्बन मुक्ति के आदेश से वर्ष 2017 तक अनभिज्ञ रहे यह अविश्वसनीय है । संभवतः आप तथ्य को छुपा कर बिना कोई कार्य किए लंबी अवधि तक अपने वांछित स्थल पर रहे और अपने निलंबन के 13 वर्षो वाद सेवानिवृति की तिथि नजदीक आने पर आपने निलंबन मुक्ति के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया ।
3	निलम्बन समाप्ति की सूचना मिलने के उपरान्त क्षेत्रीय अपर निदेशक द्वारा आपको मुख्यालय के लिए दिनांक–28.08.2017 को विरमित कर दिया गया, परन्तु आपके द्वारा दिनांक–29.08.2017 के पश्चात् विभाग में उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है, जो आपकी अनधिकृत अनुपस्थिति है ।

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

साक्ष्य तालिकाः–

1. विभागीय अधिसूचना संख्या–847(9) दिनांक–05.08.2008
2. आपका अभ्यावेदन दिनांक–06.5.17, 04.08.17, एवं दिनांक–29.8.17
3. क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक–761 दिनांक–03.08.17 एवं 899 दिनांक–29.8.17
4. डा0 अशोक कुमार यादव, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ का ज्ञापांक–12 दिनांक–05.02.2018 एवं ज्ञापांक–75 दिनांक–01.08.18

सरकार के उप सचिव